रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 734] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2019/अग्रहायण 29, 1941
No. 734] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2019/AGRAHAYANA 29, 1941

IndiaCode

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 941(अ).—केन्द्र सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 के उपखंड (2) के खंड (ग), (इ), (च) और (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-(1) इन नियमों को रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2019 कहा जाएगा.

(2) ये 1 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त होंगे.

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में, नियम 5 में, फार्म II में, भाग III के लिए निम्नलिखित भाग III प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात:-

"भाग III

----------के रेल दावा अधिकरण के समक्ष
रेल दावा अधिकरण अधिनियम के तहत
दावा के लिए आवेदन संबंधी प्रोफार्मा

मूल आवेदन ……/……..

1. क ख, इत्यादि आवेदक(आवेदकों)

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक,(जोन),(स्थान) के माध्यम से प्रतिवादी(प्रतिवादियों)

<u>दुर्घटना/अप्रिय घटना में मृत्यु/घायल होने की स्थिति में दावा के लिए आवेदन</u>

I. **आवेदक(आवेदकों) का व्यक्तिगत ब्यौराः**

1. पिता/पति का नाम और आवासीय पता सहित आवेदक(आवेदकों) का नामः
……
……
……
……
……
……

2. घायल/मृत व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और आयु (विवाहित महिला या विधवा के मामले में पति का नाम):
……
…..
……
……
……

3. घायल/मृत व्यक्ति का पूरा पता:
……
……
……
……

4. घायल/मृतव्यक्ति का व्यवसाय:
……

5. मृत व्यक्ति के नियोजक का नाम और पता, यदि कोई हो:
……
……
……
……
……

6. मृत्यु हो जाने की दशा में, क्या पीड़ित व्यक्ति विवाहित थाः हां () नहीं ()
(जो उचित हो, उसे(✓) करें, जो लागू नहीं हो, उसे खाली छोड़ दें या उसे काट दें)

IndiaCode

(i)(क)यदि हां, तो पति/पत्नी का

नाम:.....

विवाहित/अविवाहित होने पर उनके बच्चा (बच्चों) का/के नाम:

.....

.....

.....

(ख) क्या उपर्युक्त नाम के सभी व्यक्तियों को आवेदन में अभियोजित किया गया है?

हां() नहीं ()

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

.....

.....

(घ) क्या मृत व्यक्ति किसी के साथ विवाह की प्रकृति जैसे संबंध में था ? हां() नहीं()

(ङ) यदि हां, तो व्यक्ति का नाम

(च)क्या उस संबंध से कोई बच्चा(बच्चे) है/हैं, तो उसका/उनके नाम

.....

.....

.....

(छ) यदि माता/पिता(दोनों) जीवित है/हैं हां() नहीं(). क्या वह/वे आश्रित है/हैं ?

हां() नहीं ()

(ज) यदि हां, जीवित माता/पिता का नामः

(झ) माता/पिता की पहले ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मृत्यु की तारीख.....

(ii) (क) यदि विवाहित नहीं हैं,

जीवित माता/पिता का नामः

(ख) क्या कोई अवयस्क भाई है/हैं जो मृतक पर आश्रित है/हैं?

हां() नहीं()

यदि हां, उसका/उनके नामः

(ग) क्या कोई अविवाहित बहन(बहनें) है/हैं ? हां() नहीं ()

यदि हां, उसकी/उनके नाम

7. मृत व्यक्ति की पहचान और संबंध को प्रमाणित करने के लिए फाइल किए जाने वाले दस्तावेज:

(i) (क) आवेदक(आवेदकों) की आधार संख्या और पता(पते):

.....

(ख) यदि किसी भी आवेदक के लिए आधार नहीं लगाया गया हो, तो पहचान का कोई और प्रमाण है?

हां() नहीं()

यदि हां, तो नीचे (ii) या (iii) में उल्लिखित दस्तावेज के प्रकार के अलावा अन्य दस्तावेज(दस्तावेजों) का उल्लेख करें और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम लिखें:

(ii) वयस्क आवेदक(आवेदकों) के लिए चुनाव पहचान पत्र-.....

IndiaCode

.....

(iii) राशन कार्ड.....

(क) जारीकर्ता प्राधिकारी और जारी करने का वर्षः.....

.....

(ख) परिवार के सदस्य(सदस्यों) का/के नामः

.....

नोटः यदि किसी भी आवेदक के संबंध में पहचान का कोई प्रमाण नहीं लगाया जाता है, तो आवेदन को सिरे से अस्वीकार कर दिया जाएगा.

8. क्या घायल/मृत व्यक्ति के पास मोबाइल टेलीफोन था ?_ हां() नहीं()

(क) यदि हां, फोन सं. और आपरेटर का नाम.....

(ख) व्यक्ति ने यात्रा में या यात्रा के दौरान या दुर्घटना/अप्रिय घटना से ठीक पहले किसी संबंधी/मित्र को फोन किया था. हां() नहीं ()

(ग) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम, जिसे उस फोन नम्बर से फोन किया गया थाः

.....

II. घायल या मृत व्यक्ति का यात्रा संबंधी ब्यौराः

1. (क) क्या वह यात्री था/थी () या प्लेटफार्म पर गया था/थी () या रेल कर्मचारी था/थी ()

(ख) यदि वह यात्री था/थी या प्लेटफार्म पर गया था/थी, टिकट/रेल पास का ब्यौरा,

टिकट सं. तारीखः दिन/महीना/वर्ष जारी करने का समयः 00/00 घंटे

(ग) टिकट में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती स्टेशन, यदि कोई हो.....

.....

(घ) क्या घटना का कथित स्थल ऊपर वर्णित मार्ग के भीतर पड़ता है.

हां() नहीं()

(ङ) यदि रेलवे पास है, तो पास सं.....दिनांक/महीना/वर्ष से दिनांक/महीना/वर्ष तक मान्य.

(च) यदि रेल कर्मचारी है, तो पदनाम और प्रमाण.....

(छ) यदि वह यात्री है, तो क्या टिकट पुलिस द्वारा सौपा गया था या बरामद किया गया था ? हां() नहीं()

(ज) क्या जब्ती मेमो तैयार किया गया था ? हां() नहीं()

(झ) यदि हां, तैयार करने का समय, जब्त किया गया सामान और उस व्यक्ति का नाम जिसने उसके साक्ष्य के रुप में मेमो पर हस्ताक्षर किए हैं.....

.....

(ञ) यदि नहीं, उल्लेख करें कि यदि कोई अन्य वस्तु पुलिस को सौंपी गई है या पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त हुई है:.....

पर्स/वैलेट () डायरी() कर्मचारी पहचान पत्र() आधार () इलेक्शन आइडी () _____बैंक(बैंको) का क्रेडिट कार्ड() नगद() राशिः _____रु. थैला(थैले) () नहीं

(ट) कोई अन्य वस्तु(वस्तुएं):.....

.....

IndiaCode

2. क्या आप यात्रा के ब्यौरे के बारे में जानते है, जो पीड़ित व्यक्ति कर रहा था अर्थात यात्रा शुरु करने का स्टेशन और गंतव्य स्टेशन? हां () नहीं ()

(क) यदि हां, पीड़ित व्यक्ति के संबंध में यात्रा आरंभ के स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का ब्यौरा दें.....

.....

(ख) क्या आप उस रेलगाड़ी का नाम और गाड़ी संख्या के बारे में जानते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने यात्रा की या यात्रा का प्रयास किया था? हां() नहीं()

(ग) यदि हां, रेलगाड़ी का ब्यौरा दें.....

(घ) यदि नहीं, क्या आपने जीआरपी/आरपीएफ या स्टेशन अधीक्षक से ब्यौरा एकत्रित किया है? हां() नहीं()

(ङ) यदि कोई सूचना एकत्रित नहीं की गई, तो उस रेलगाड़ी का ब्यौरा मुहैया कराएं (जहां तक संभव हो) जो उसी दिशा में गुजरी हो जहां पीड़ित व्यक्ति उस समय से 2घंटे पहले और बाद की रेंज में पाया गया था, जब घटना घटित होने की शंका होः.....

.....

3. (क) क्या दुर्घटना/अप्रिय घटना के पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई जानकार सहयात्री था/थे? हां() नहीं()

(ख) यदि हांया सामाजिक दायरे में रक्त संबंधी-के नाम और संबंध की प्रकृति/का (सहयात्रियों)तो सहयात्री , मित्रता या कार्य स्थल के थे

.....

.....

4. (क) क्या पीड़ित व्यक्ति की यात्रा का/के कोई प्रत्यक्षदर्शी था/थे, हां() नहीं()

(ख) यदि हां, व्यक्ति(व्यक्तियों) के नामः.....

(ग) क्या उसने पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान जांच के समय या किसी अन्य समय में पुलिस को कोई बयान दिया हैः.....

.....

.....

III. **दुर्घटना/अप्रिय घटना का ब्यौराः**

1. यदि दुर्घटना है,

(क) दुर्घटना की प्रकृतिः रेलगाड़ी का पटरी से उतरना() रेलगाड़ियों के बीच टक्कर() रेलगाड़ी और किसी अन्य मोटर वाहन के बीच टक्कर() या किसी अन्य गैर मोटर वाहन के बीच की टक्कर ()

(ख) रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की स्थिति में, वह स्टेशन या स्थान जिसके समीप दुर्घटना हुई थी.....

.....

(ग) रेलगाड़ी के टक्कर की स्थिति में, वे रेलगाड़ियां जो दुर्घटना में शामिल थी और वह स्थान या जिस स्थान के नजदीक दुर्घटना हुई थी, का ब्यौराः.....

.....

.....

(घ) किसी अन्य वाहन या यात्री या माल ढोने वाली गाड़ियों से टक्कर की स्थिति में, क्या इस समपार पर कोई चौकीदार तैनात था() समपार पर चौकीदार तैनात नहीं था() या उसके नजदीकी स्थल का ब्यौरा, जहां दुर्घटना हुई थीः

IndiaCode

(ङ) क्या पीड़ित व्यक्तियों की सूची में नाम प्रकाशित हुआ था ? हां() नहीं()

(च) यदि हां, किसी अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था हां () नहीं ()

(छ)यदि हां, भुगतान की गई राशि और वह व्यक्ति जिसे भुगतान किया गया, उसके साथ संबंध.....

.....

(ज) संलग्न दस्तावेजः

(i) दुर्घटना की वैधानिक रिपोर्ट की प्रतिः ()

(ii) समाचार पत्र संबंधी रिपोर्ट ()

(iii) अनुग्रह राशि के भुगतान का वाउचर, यदि कोई होः ()

(iv) कोई अन्य सूचना या दस्तावेजी साक्ष्य जो दावा के निपटान में आवश्यक या सहायक हो सकता है:.....

.....

2. अप्रिय घटना की स्थिति में, प्रयोज्य किसी एक बॉक्स सं. में (✓) का निशान लगाएं.

(क) आतंकवादी हमला ()

(ख) लूटपाट/डकैती/हिंसक हमला ()

(ग) यात्री ढ़ोनेवाली रेलगाड़ी में, या प्रतीक्षालय में, क्लॉक रूम या आरक्षण या बुकिंग कार्यालय या किसी प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा लड़ाई, शूट-आउट या आगजनी के शिकार ()

(घ) रेलगाड़ी से संयोगवश गिरना ()

(ड़) किसी और तरीके से ()

(क) यदि आतंकवादी हमला था, अपराध संख्या के साथ केस का ब्यौरा ()

(ख) यदि लूटपाट/डकैती/हिंसक हमला है, क्या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था ?

हां () नहीं ()

यदि हां, तो केस संख्या और न्यायालय जहां केस अभियोजित किया जा रहा है/था, का ब्यौरा दें

(ग) यदि लड़ाई, शूट-आउट, आगजनी के शिकार हुए, तो क्या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था. हां () नहीं ()

(i) एफआईआर ()

(ii) समाचार पत्र की रिपोर्ट, यदि कोई हो ()

(iii) निर्णय, यदि कोई हो ()

(घ) रेलगाड़ी से गिरनाः

(i) प्रारंभ/मध्यवर्ती स्टेशन के रेलवे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी में चढ़ते समय ()

(ii) प्लेटफार्म/मध्यवर्ती स्टेशन/गंतव्य स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरते समय ()

(iii) चलती गाड़ी से मध्यवर्ती स्टेशन पर दुर्घटनावश गिरना ()

(ड़) क्या गिरने के स्थान पर रेलगाड़ी रूकी थी ? हां () नहीं ()

(च) यदि हां, तो क्या यह अलार्म चेन (एसीपी) खींचने के बाद रूकी थी () या गार्ड के अनुरोध पर ()

(छ)यदि हां, तो अलार्म चेन किसके द्वारा खींची गई. सहयात्री द्वारा() लोगों द्वारा ()

जीआरपी/आरपीएफ द्वारा()गार्ड द्वारा()लोको पायलट द्वारा()रेलवे स्टाफ द्वारा ()

IndiaCode

3. (क) क्या इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह था ? हां () नहीं ()

(ख) यदि हां, तो उसका नाम _____ था और पुलिस द्वारा उसकी जांच की गई थी और बयान को जीआरपी/आरपीएफ () या दोनों () या किसी के द्वारा नहीं () रिकॉर्ड किया गया.

(ग) अन्य चश्मदीद गवाह, यदि कोई हों

(घ) फाइल किए गए दस्तावेजः

(i) एसीपी के लिए गार्ड की डायरी/रफ जरनल ()

(ii) एसीपी के लिए लोको पायलट की डायरी ()

(iii) अप्रिय घटना संबंधी रजिस्टर में प्रविष्टि ()

(iv) चश्मदीद गवाह(गवाहों) का/के बयान ()

(v) दुर्घटना के स्थान पर घायल पीड़ित का यदि कोई अंगविच्छेदन हुआ हो, तो उसे दिखाता हुआ फोटो या मृत शरीर की फोटो ()

(vi) कोई अन्य जानकारी या दस्तावेजी साक्ष्य, जो दावे के निपटान में आवश्यक या सहायक हो सकते हैं.....
.....
.....

4. दुर्घटना/अप्रिय घटना के कारण किसी भी सामान के नुकसान का विवरण
.....
.....

IV. दुर्घटना के बाद का विवरणः

1.(क) क्या दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था ? हां () नहीं ()

(ख) यदि हां, तो अस्पताल में भर्ती के समय पीड़ित व्यक्ति के साथ आए व्यक्ति का नाम_____

(ग) हुई क्षति की प्रकृति और साथ ही चिकित्सा प्रमाणपत्र और ऐसे चिकित्सा अधिकारी/प्रैक्टिशनर यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने घायल/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी और उपचार की अवधिः.....
.....

(घ) एमएलआर/दुर्घटना रजिस्टर में दर्ज किए गए अनुसार अस्पताल में भर्ती का समय क्या है?.....
.....

(ड़) यदि पीड़ित व्यक्ति जीवित है तो उन्हें क्या चोटें लगी थीं और अस्पताल से छुट्टी के समय क्या निदान किया गया.....
.....

(च) कार्य के लिए अक्षमता, यदि कोई कारण हो

(छ) यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो क्या पोस्टमार्टम किया गया था.
हाँ (), नहीं ()

(ज) पोस्टमार्टम में दर्ज किए गए अनुसार, मृत्यु का क्या कारण है?
.....
.....

IndiaCode

2. (क) क्या मृतक व्यक्ति के बारे में तहकीकात की गई थी ? हाँ (), नहीं ()

(ख) क्या तहकीकात के समय मृतक पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो गई थी ?

हाँ (), नहीं ()

(ग) क्या तहकीकात के समय मृतक पीड़ित व्यक्ति का कोई नजदीकी रिश्तेदार मौजूद था? हाँ(), नहीं()

(घ) यदि हाँ, तो किसने रिश्तेदार (रिश्तेदारों) को सूचित किया था. पुलिस() या स्रोत का नाम बताएं.....

(ड़) तहकीकात के समय क्या-क्या सामान पाया गया ?

टिकट () वॉलेट/पर्स () आधार () इलेक्शन आईडी () पैन कार्ड () क्रेडिट/डेबिट कार्ड () घड़ी () चूड़ी(चूड़ियां) () कैश () सेल फोन()

(च) कोई अन्य सामान

(छ) क्या पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को सौंप दी है ?

हाँ (), नहीं ()

(ज)यदि हाँ, तो पुलिस ने क्या निष्कर्ष निकाला है ?.....
.....
.....

IndiaCode

V. सीमाएं:

(क) क्या आवेदन समय पर फाइल किया गया है ? हाँ (), नहीं ()

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के दिनों की संख्या और कारण बताएं
.....
.....

VI. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....यह वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैंने किसी अन्य आरसीटी बेंच / न्यायालय में इस मामले में दावे के लिए कोई अन्य दावा संबंधी आवेदन नहीं किया है.

VII. आवेदन में लिखा गया अनुरोधः

आवेदक के लिए वकील

आवेदक

आवेदक का सत्यापन

मैं / हम, आवेदक/आवेदकों एतदद्वारा यह कहते हैं कि उपर्युक्त दिए गए प्रमाण मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं और प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज की वास्तविक प्रतियां हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सच होने के लिए प्रमाणित हैं। हम आगे इस

बात की पुष्टि करते हैं कि हम समझ गए हैं और सलाह दी जाती है कि किसी भी जानबूझकर गलत सूचना या झूठ होने के परिणामस्वरूप कार्रवाई की जाएगी।

तारीख: आवेदक का हस्ताक्षर या बायें अंगूठा का निशान

स्थान: आवेदक का नाम और पूरा पता "

[फा. सं. 2018/टीसी(आरसीटी)/1-2]

एन. मधुसूदन राव, प्रधान कार्यपालक निदेशक/वाणिज्य(दर एवं विपणन)

नोट :- मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 842 (अ.) तारीख 19 सितम्बर,1989 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए :-

(1) सा.का.नि. 700 (अ), तारीख 26 नवम्बर, 1991;

(2) सा.का.नि. 438 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992;

(3) सा.का.नि. 509 (अ), तारीख 15 जून, 1994;

(4) सा.का.नि. 270 (अ), तारीख 8 जुलाई, 1996;

(5) सा.का.नि. 59 (अ), तारीख 6 फरवरी, 1997;

(6) सा.का.नि. 719 (अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1999;

(7) सा.का.नि. 167 (अ), तारीख 29 फरवरी, 2000;

(8) सा.का.नि. 513 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2001;

(9) सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2002;

(10) सा.का.नि. 384 (अ), तारीख 1 नवम्बर, 2003;

(11) सा.का.नि. 66 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2006;

(12) सा.का.नि. 498 (अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;

(13) सा.का.नि. 283 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007;

(14) सा.का.नि. 96 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2010;

(15) सा.का.नि. 711 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015;

(16) सा.का.नि. 464 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2016;

(17) सा.का.नि. 332 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 2017;

(18) सा.का.नि.1060 (अ), तारीख 23 अगस्त, 2017;

(19) सा.का.नि. 816 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2018;

(20) सा.का.नि.1136 (अ), तारीख 26 नवम्बर, 2018;

(21) सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 01 अगस्त, 2019.

(22) सा.का.नि. 575 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2019 और

(23) सा.का.नि. 646 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2019.

IndiaCode

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2019

G.S.R. 941(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from 1st January, 2020.

2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989 in rule 5, in Form II, for Part III, the following Part III shall be substituted, namely:-

"PART III

PROFORMA FOR APPLICATION FOR COMPENSATION UNDER

THE RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL ACT

BEFORE THE RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL AT ……..

O.A……../……

1. AB, etc. …..Applicant(s)

Vs.

Union of India by
General Manager, (Zone), (Place) …. Respondent(s)

APPLICATION FOR COMPENSATION FOR DEATH/INJURIES IN ACCIDENT/UNTOWARD INCIDENT

I. Personal details of the applicant(s):

1. Name(s) of the applicant(s) with father's/husband's name and residence: …….
……...……
……...……
……..

2. Name, father's name and age of the person injured/dead (husband's name in the case of married woman or widow):
…….....
……...……
……...

3. Full address of the person injured/dead: ……
……...
……...

4. Occupation of the person injured/dead: …….....

5. Name and address of the employer of the deceased, if any: ……...
……..
……..

6. In case of death, was the victim married: Yes () No ()
(Tick what is appropriate; leave as blank which is not applicable or score off the same)
(i) (a) If yes, name of the spouse: …….
Name(s) of child(ren) irrespective of the marital status: …….
….……
……

IndiaCode

(b) Have all the above named persons been impleaded in the application? Yes () No ()
(c) If no, why? : ……
……
(d) Was the deceased in relationship of the nature of marriage with anyone? Yes () No ()
(e) If yes, the name of the person: ……..
(f) If there is/are child(ren) through the relationship, his/her/their name(s): …….
……
……
(g) If parent(s) is/are alive? Yes () No (). Is/are she/he/they dependant(s)? Yes () No ()
(h) If yes, name(s) of the surviving parent(s): …….....
……
(i) In the event of the pre-decease of parent(s) date(s) of death: …….

(ii) (a) If not married,
Name(s) of surviving parent(s): ……..
……

(b) Is/are there minor brother(s) who is/are dependant(s) on deceased? Yes () No ()
If yes, his/their name(s): ……...
……
(c) Is/are there unmarried sister(s)? Yes () No ()
If yes, her/their name(s): …….
……

7. Documents filed to prove the identity and relationship for deceased victim:

(i) (a) Aadhaar of applicant(s) with number(s) and address(es) of applicant(s): ……..
……
(b) If Aadhaar is not filed for any of the applicants, is there any other proof of identity? Yes () No ()
If yes, describe the document(s) other than the type of document mentioned in (ii) or (iii) below and the name of the issuing authority: ……
……

(ii) Election ID card for major applicant(s): …….
……

(iii) Ration card: ……...

(a) The issuing authority and the year of issue: ……
……
(b) Name(s) of member(s) of the family: ……
……

Note*: If no proof of identity is filed for any of the applicants, the application will be summarily rejected.*

8. Did the injured victim/deceased have mobile telephone? Yes () No ()

(a) If yes, the phone number and name of the operator: ……..
……

(b) Did the victim make a phone call to any relative/friend at/or/during travel or just before the accident/untoward incident? Yes () No ()

(c) If yes, the name of the person to whom the call was made with phone number:……
……

IndiaCode

II. Travel details of the injured victim or deceased:

1. (a) Was she/he a passenger () a visitor at the platform () or Railway staff ()
(b) If she/he was a passenger or visitor at the platform, ticket/railway pass details,
Ticket No: Date: dd/mm/yyyy Time of issue: 00/00 hours

(c) The intervening stations as mentioned, if any, in the ticket: ……
……..

(d) Whether the alleged site of the incident falls within the route described above:
Yes () No ()
(e) If railway pass, the pass no.: …… valid from: dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy
(f) If railway staff, designation and proof: …….
(g) If she/he was a passenger, was the ticket handed over or recovered by the police?
Yes () No ()
(h) Was a seizure memo prepared? Yes () No ()
(i) If yes, time of preparation, the article seized and the names of persons who have signed in the memo as witness thereof: ……..
……..

(j) If no, state if any other object handed over to police or recovered from the victim:
Purse/wallet () Diary () Employee ID () Aadhaar () Election ID () Credit/debit card(s) of Bank(s) () Cash () Amount: Rs. Bag(s) ()
(k) Any other object(s): ……..
……..

2. Do you know the details of the journey that the victim was undertaking, viz. the station of origin and destination station? Yes () No ().
(a) If yes, give the details with station of origin to destination station for the victim: ……
……..
……..

(b) Do you know the name of the train and train number in which the victim travelled or attempt to travel? Yes () No ()

(c) If yes, give the details of the train: ……
(d) If no, have you collected details from the GRP/RPF or Station Superintendent? Yes () No ()
(e) If no information was collected, furnish details of the names of trains (to the extent possible) that may have passed in the direction where the victim was found in a range of 2 hours before and after the time when incident is suspected to have happened: …….....
……..
……..

3. (a) Was/were there a known co-passenger(s) with the victim of accident/untoward incident?
Yes () No ()
(b) If yes, name(s) of co-passenger(s) and nature of relationship through blood or friendship in social circle or at work: ……
……..
……..

4. (a) Was there an eyewitness to the victim's travel? Yes () No ()
(b) If yes, name(s) of the person(s): ……
……
(c) Has she/he given any statement to the police at the time of inquest or at any other time during police investigation: ……..
……..
……..

III. **Details of accident/untoward incident:**

1. If accident,

IndiaCode

(a) Nature of accident: Derailment () Collision between trains () Collision between train and any other motor vehicle () or any other non-motor vehicle ()

(b) In case of derailment, the station at or near the place where the accident took place: ……..

…….

(c) If collision between train, the trains that were involved in the accident and the place at or near where the place the accident took place: ……

…….

(d) If collision with any other vehicle or contrivance carrying passengers or goods, was it at manned () or unmanned () crossing at or near the place where the accident took place:

…….

…….

(e) Was the name published as among list of victims? Yes () No ()

(f) If yes, was any ex-gratia payment made? Yes () No ()

(g) If yes, the amount paid and the person to whom paid with relationship: …….

…….

(h) Documents filed:

(i) Copy of statutory report of accident: ()
(ii) Newspaper report: ()
(iii) Voucher for payment of ex-gratia, if any: ()

(iv) Any other information or documentary evidence that may be necessary or helpful in the disposal of the claim: …….

……

2. If untoward incident, tick one of the boxes applicable:

a. Terrorist attack ()

b. Robbery/dacoity /violent attack ()

c. Victim of incident of rioting, shoot-out or arson, by any person in or on any train carrying passengers, or in a waiting hall, cloak room or reservation or booking office or on any platform or in any other place within the precincts of a railway station ()

d. Accidental fall from train ()

e. Any other manner: ……

(a) If terrorist attack, details of the case with crime number: …….

…….

(b) If robbery/dacoity/violent attack, was any criminal case registered? Yes () No ()

If yes, give details of case number and the court where the case is/was being prosecuted:

……
……

(c) If victim of rioting, shoot-out, arson, was any criminal case registered? Yes () No ()

(i) FIR ()

(ii) Newspaper report, if any ()
(iii) Judgment, if any ()

(d) Fall from the train:

(i) While boarding the train at the railway platform of the station of origin/mid-station ()
(ii) While de-boarding the train at platform/mid-station/destination station ()

IndiaCode

(iii) Accidental fall at mid-station when the train was in motion ()

(e) Was the train stopped at the place of fall? Yes () No ()

(f) If yes, it was after alarm chain pull (ACP) () or at the instance of the guard ()

(g) If yes, it was by co-passenger (), some member of public (), GRP/RPF (), Guard () Loco pilot () Railway staff ()

3. (a) Is there an eye-witness to the incident? Yes () No ()

(b) If yes, his/her name was ……. and he was examined by the police and statement recorded by GRP/RPF () or by both () or by none ()

(c) Names of other eye-witnesses, if any: ……..
…….....

(d) Documents filed:

(i) Guard's diary/rough journal for ACP ()
(ii) Loco-pilot's diary for ACP ()
(iii) Entry in untoward incident register ()
(iv) Statement(s) of eye-witness(es) ()
(v) Photograph of the injured victim showing amputation, if any, or of the dead body taken at the site of accident ()
(vi) Any other information or documentary evidence that may be necessary or helpful in the disposal of the claim:
…….
……...

4. Details of the loss of any luggage on account of the accident/untoward incident: …….....
……
……

IV. **Post-accident details:**

1. (a) Was the victim admitted at the hospital? Yes () No ()

(b) If yes, the name of the person who accompanied the victim to the hospital at the time of admission:
……...
……

(c) Nature of injuries sustained along with medical certificate and the name and address of the Medical Officer/Practitioner, if any, who attended on the injured/dead and period of the treatment:
…….
……
……

(d) What is the time of admission, as entered in the MLR/Accident register at the hospital?
……

(e) If the victim is alive, what are the injuries and diagnosis at the time of discharge at the hospital?
……
……

(f) Disability for work, if any caused: ……
……

(g) If the victim had died, post-mortem was conducted: Yes () No ()

(h) What is the cause of death as entered in the post-mortem? ……
……
……

2. (a) Was inquest conducted on the deceased? Yes () No ()

(b) Was deceased victim identified at the time of inquest? Yes () No ()

(c) Was any of the near relatives of the deceased victim available at the time of inquest? Yes () No ()

(d) If yes, who informed the relative(s), police () or state the source ……

(e) What were the belongings recorded as found at the time of inquest?

IndiaCode

Ticket () Wallet/purse () Aadhaar () Election ID () PAN card () Credit/debit card () Watch () Bangle(s) () Cash () Cell phone ()

(f) Any other articles: ……..... ……

(g) Have the police submitted final report to the jurisdictional magistrate? Yes () No ()

(h) If yes, what is the conclusion of the police? …….. ……. ……. ……. …….

V. Limitation:

(a) Is the application filed on time? Yes () No ()

(b) If no, state number of days or delay and the reason(s): …… ……..

……..

VI. I, Shri/Smt./Km ……, undertake that I have not filed any claim application for this claims case in any other RCT Bench or Court.

VII. Prayer in the application:

Counsel for the applicants

Applicants

Verification of the applicant(s)

I/we, the applicant(s) do hereby state that the averments made above are true to the best of my/our knowledge and belief and the documents submitted are true copies of the original as certified to be true by the competent authority. We further affirm that we have understood and are advised that any deliberate misinformation or falsehood will result in actions being initiated for perjury.".

Date: Signature or left thumb impression of the applicant

Place: Name and Full Address of the applicant"

[F.No.2018/TC(RCT)/1-2]

N. MADHUSUDAN RAO, Principal Executive Director/Commercial (R&M)

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.842(E) dated the 19th September, 1989 and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R. 700(E), dated the 26th November, 1991;
2. G.S.R.438(E), dated the 28th April, 1992;
3. G.S.R.509(E), dated the 15th June, 1994;
4. G.S.R.270(E), dated the 8th July, 1996;
5. G.S.R.59(E), dated the 6th February, 1997;
6. G.S.R.719(E), dated the 26th October, 1999;
7. G.S.R.167(E), dated the 29th February, 2000;
8. G.S.R.513(E), dated the 9th July, 2001;
9. G.S.R.787(E), dated the 2nd December, 2002;
10. G.S.R.384(E), dated the 1st November, 2003;
11. G.S.R.66(E), dated the 16th February, 2006;

12. G.S.R.498(E), dated the 23rd August, 2006;

13. G.S.R.283(E), dated the 11th April, 2007;

14. G.S.R.96(E), dated the 22nd February, 2010;

15. G.S.R.711(E), dated the 17th September, 2015;

16. G.S.R.464(E), dated the 28th April, 2016;

17. G.S.R.332(E), dated the 5th April, 2017;

18. G.S.R.1060(E), dated the 23rd August, 2017;

19. G.S.R.816(E), dated the 28th August, 2018;

20. G.S.R.1136(E), dated the 26th November, 2018;

21. G.S.R.546(E), dated the 1st August, 2019;

22. G.S.R.575(E), dated the 16th August, 2019 and

23. G.S.R.646(E), dated the 12th September, 2019.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.24 16:20:28 +05'30'